संख्या– 50 /1–11–2010–22(जी)/09

प्रेषक,

के0के0सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–11 लखनऊः दिनांकः 11 फरवरी, 2011

विषयः–वर्ष 2011 में बाढ़/अतिवृष्टि प्रबन्ध योजना का कियान्वयन तथा बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि वर्षा ऋतु में हर वर्ष प्रदेश के बहुत से क्षेत्र बाढ़ एवं जलप्लावन से प्रभावित होते है, जिससे फसलों के साथ–साथ सम्पत्ति की भी गम्भीर क्षति होती है। अतः यह आवश्यक है कि पिछले वर्षो के अनुभव के आधार पर बाढ़ जैसी दैवी आपदा तथा उससे उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिये पहले से ही तैयारी रखी जाय, ताकि बाढ़ की स्थिति में जन एवं धन की हानि कम से कम हो और पीड़ित व्यक्तियों को अविलम्ब राहत पहुंचाना सम्भव हो सकें।

शासन स्तर से किसी जनपद या क्षेत्र विशेष को औपचारिक रूप से बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया जाता है। अपितु अपेक्षा यह है कि बाढ़ आने पर जिला प्रशासन द्वारा तत्काल बचाव एवं राहत कार्य आरम्भ कर दिया जाय। प्रत्येक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बिना किसी अतिरिक्त निर्देश के समुचित राहत पहुंचाना जिलाधिकारी का दायित्व है। अतः राहत कार्य प्रारम्भ करने के लिये शासन स्तर से किसी औपचारिक घोषणा के लिये न तो प्रस्ताव भेजा जाय और न घोषणा की अपेक्षा व प्रतीक्षा ही की जाय। आगामी वर्षा ऋतु में सम्भावित बाढ़ से उत्पन्न स्थिति का सामना करने तथा प्रभावित व्यक्तियों को सहायता देने की कार्यवाही करने हेतु बाढ़ मैनुअल में उल्लिखित बिन्दुओं पर दिनांक 31 मार्च, 2011 तक कार्य योजना बना कर शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

आगामी वर्षा ऋतु से पूर्व वर्ष 2010 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुर्ननिर्माण, मरम्मत एवं पुर्नस्थापन के कार्य विभागीय मदों से भी करा लिये जाए । बाढ़

चौकियॉ स्थापित किये जाने/सरकारी एवं निजी नाव की व्यवस्था किये जाने,खाधान्न एवं चिकित्सा सुविधा की समुचित व्यवस्था कार्ययोजना में सम्मिलित कर ली जाय तथा क्षमता निर्माण (Capacity Building) यथा प्रशिक्षण, पूर्व तैयारी तथा उपकरणों की समुचित व्यवस्था आदि पर विशेष ध्यान दिया जाय तथा कृपया Capacity Building हेतु अपने सुझाव राहत आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

इस आशय से बाढ़ के सम्बन्ध में पूर्व में दिये गये दिशा–निर्देशों को भी ध्यान में रखा जाय।

भवदीय,

के0के0सिन्हा
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या–50 (1)/1–11–2011 तद्दिनांक

उपर्युक्त पत्र की प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने विभाग से सम्बन्धित बाढ़ की प्रबन्ध योजना तैयार कराकर कियान्वयन करने हेतु सभी सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश जारी करके उसकी प्रति राजस्व अनुभाग–11 को (सम्बन्धित विभाग के समन्वय अधिकारी के नाम/पदनाम, टेलीफोन नम्बर सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें–

1. प्रमुख सचिव,गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव,पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव,ग्राम्य विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव,नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव,कृषि विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
10. प्रमुख सचिव, वन विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
11. प्रमुख सचिव,लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
12. प्रमुख सचिव,खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
13. प्रमुख सचिव,पशुधन विभाग उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(आनन्द प्रकाश उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।

संख्या–50 (2)/1–11–2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण ।
2. आयुक्त एवं सचिव,राजस्व परिषद,लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग उत्तर प्रदेश जवाहर भवन, लखनऊ।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद लखनऊ।
6. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. निदेशक, कृषि विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
9. निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
10. निदेशक, स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश लखनऊ।
11. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई /लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
13. निदेशक, मौसम केन्द्र,अमौसी एयरपोर्ट, लखनऊ।
14. आपदा प्रबन्ध प्रकोष्ठ, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्ध अकादमी लखनऊ।
15. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय, बापू भवन ।
16. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त को राहत की वेब साइड पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करे।
17. राजस्व अनुभाग–10 एवं 11 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।

आज्ञा से,

(आनन्द प्रकाश उपाध्याय)

संयुक्त सचिव।